

दिनांक 28/4/2016

पक्षकारान/वकूलाय उपस्थित

राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अदालत सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत शिबिर का आयोजन रखा गया है, जिसमें राजस्व न्यायालय के समस्त विचाराधीन व नवीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता अध्यापक के आधार पर विधिसम्मत निरस्तारण किया जायेगा।

अतः इस पत्रावली से संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केन्द्र ग्राम पंचायत मुख्यालय अदालत सेवा केन्द्र पर आयंदा दिनांक 1/5/16 को पेश हो

जिला अधिकारी
(राज.) जिला प. नि. मृगसमुह

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

14/5/16

पक्षकारान उपस्थित

इस पत्रावली से संबंधित

अन्य वकूलाय

वाकूलाय पत्रावली राजस्व

को 40/2014 में निहित

की शक्तिम आर्थवाही को आगे चलने

का कोई शौचिल्य नहीं है और पत्रा.

केसल में सुमार व नंबर से

दौरिकर द फलर हो

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

मृगसमुह, जिला अधिकारी